आदेश के बाद भी मास्टर प्लान प्रकाशित नहीं होने का मामला

जबलपुर के मास्टर प्लान पर हाईकोर्ट सख्त टीएनसीपी कमिश्नर को अवमानना नोटिस

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

हाईकोर्ट ने जबलपुर के मास्टर प्लान 2047 को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद मास्टर प्लान प्रकाशित नहीं होने पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के आयुक्त-कम-संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं।

मामला क्रेडाई जबलपुर बिल्डर्स एसोसिएशन के दीपक अग्रवाल की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। क्रेड़ाई की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार उपाध्याय ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। फिलहाल, कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल क्रेडाई ने मास्टर प्लान 2047 को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को संबंधित आवेदन पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों को 18 मई 2026 को दे दी गई थी। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ, जिसके बाद यह अवमानना का मामला दायर किया गया। सुनवाई दौरान बताया गया कि मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और उसे राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजे जाने की बात भी सामने आई थी। इसके बावजूद मास्टर प्लान प्रकाशित नहीं होने का आरोप लगाया गया। 20 अगस्त की सुनवाई में



हाईकोर्ट के समक्ष आदेश के अनुपालन की स्थिति रखी गई। इस पर एकलपीठ ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के आयुक्त-कम-संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकारी को बताना होगा कि न्यायालय के पूर्व आदेश के बावजूद उसका पालन क्यों नहीं हुआ।

अधिग्रहीत की गई अतिरिक्त भूमि का नया नोटिफिकेशन कर दो मुआवजा

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण के लिये अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा न दिये जाने के मामले को सख्ती से लिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को निर्देशित किया है वे अतिरिक्त अधिग्रहीत भूमि का नया नोटिफिकेशन जारी करें और आवेदिका को मुआवजा प्रदान करें। यह मामला शहडोल की सुहागपुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम कुदारी निवासी प्रभा सोनी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-78 के बाईपास के निर्माण हेतु अधिसूचना का प्रकाशन किया गया। जिसमें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने याचिकाकर्ता की जमीन का जितना अधिग्रहण का प्रकाशन किया था, उससे अधिक जमीन का अधिग्रहण कर लिया और उस पर सड़क बना दी। इस संबंध में भू-अर्जन अधिकारी को शिकायत दी गई, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद राजस्व अधिकारियों के समक्ष भूमि का सीमांकन कराया गया, जिस पर पाया गया कि अर्जित भूमि के अलावा 0.024 हेक्टेयर पर सड़क का निर्माण कर दिया गया है, किंतु उपरोक्त अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि के संबंध में ना तो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और न ही कोई मुआवजा दिया गया।

अवैध गर्भपात मामले में जांच के निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने हरदा के भगवती नर्सिंग होम में कथित अवैध गर्भपात के मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह पता लगाने को कहा है कि नर्सिंग होम प्रबंधन और डॉ. मनीष शर्मा की पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका थी। इसी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पुनिया बाई और अर्जुन पटेल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई की। रिकार्ड के अनुसार सात मार्च 2020 को भगवती नर्सिंग होम परिसर में भ्रूण मिला था। पुलिस जांच में नर्सिंग होम में कथित अवैध गर्भपात कराए जाने की जानकारी सामने आई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पुनिया बाई और अर्जुन पटेल को आरोपी बनाया। हरदा जिला एवं सत्र न्यायालय ने 26 फरवरी 2024 को दोनों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। सुनवाई दौरान न्यायालय ने रिकार्ड देखकर कहा कि मामला केवल दोनों आरोपियों तक सीमित नहीं है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह मामला हत्या के बजाय अवैध गर्भपात से जुड़ा प्रतीत होता है। इसलिए नर्सिंग होम और डॉ. मनीष शर्मा की भूमिका की स्वतंत्र जांच जरूरी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए दोनों आरोपियों को जमानत का लाभ दिया।

आत्महत्या दुष्प्रेरण मामले में युवती को मिली अग्रिम जमानत

जबलपुर। हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 23 वर्षीय युवती विशाखा को अग्रिम जमानत दे दी। अधिवक्ता शांतनु तिवारी ने युवती की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि वह निर्दोष है और उसने मृतक को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। शासन ने जमानत का विरोध किया। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने कहा कि प्रथमदृष्टया आवेदिका के विरुद्ध बीएनएस की धारा 45 और 108 के आवश्यक तत्व नहीं बनते। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। गिरफ्तारी होने पर 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के सक्षम जमानतदार पर रिहाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जांच में सहयोग नहीं करने पर जमानत रद्द किए जाने की बात कही गई है। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार मृतक आकाश राठौर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की थी। मर्ग जांच के दौरान परिजनों ने बताया कि तबीयत बिगड़ने पर उसे बैतूल अस्पताल ले जाया गया, जहां से नागपुर रेफर किया गया। रास्ते में आकाश ने कथित तौर पर बताया कि युवती ने उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। पोस्टमार्टम में जहरीला पदार्थ खाने से अंगों के काम करना बंद होना मृत्यु का कारण बताया गया।

जमीन पर शेड को लेकर दायर याचिका खारिज

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

हाईकोर्ट ने कहा, पक्का निर्माण नहीं, जनता के लिए छोटा अस्थायी शेड, हो, विधायक, महापौर और पार्षद को बनाया गया था पक्षकार

मप्र हाईकोर्ट ने शहर में खुले स्थानों के इस्तेमाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। पुराने गुलौआ तालाब के आगे शिव मंदिर के पास हॉकर जोन से लगी करीब 7000 वर्गफीट जमीन को खुला रखने की मांग को लेकर ओमप्रकाश तिवारी ने याचिका दायर की थी। इसमें पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंह और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू व पार्षद को भी पक्षकार बनाया गया था।

एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि लंबे समय से खाली पड़ी जमीन स्थानीय लोगों के उपयोग में है। यहां पेड़-पौधे हैं और बच्चे, बुजुर्ग तथा महिलाएं इस खुले स्थान का उपयोग करते हैं। आरोप लगाया गया कि करीब 3000 वर्गफीट हिस्से में सामुदायिक भवन का निर्माण शुरू किया जा रहा है, जिससे खुला क्षेत्र प्रभावित होगा।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि मौके पर स्थायी सामुदायिक भवन नहीं बनाया जा रहा है। प्रशासन ने 24 मार्च 2026 को अस्थायी शेड निर्माण की स्वीकृति दी है, जिसके लिए 24.46 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। शेड का उपयोग बारिश और गर्मी के दौरान आम जनता के लिए किया जाएगा। न्यायालय ने निर्माण स्थल की तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद पाया कि जमीन के छोटे हिस्से में ही निर्माण हो रहा है। कोर्ट ने माना कि यह पक्का निर्माण नहीं है और इससे खुले क्षेत्र की गतिविधियों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। जिसके बाद न्यायालय ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए किए जा रहे ऐसे कार्य में रिट क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप का आधार नहीं है। इसी के साथ जनहित याचिका निरस्त कर दी गई।

हाईकोर्ट से छिंदवाड़ा के सीएमएचओ को राहत नहीं

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश गुन्नाड़े को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किए गए निलंबन के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए उन्हें पहले विभाग के समक्ष वैधानिक अपील दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामला सीमा तुमराम को प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने आठ अगस्त 2026 को छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान सार्वजनिक रूप से सीएमएचओ के निलंबन की घोषणा की थी। इसके बाद डॉ. गुन्नाड़े को छिंदवाड़ा से करीब 307 किलोमीटर दूर कटनी कार्यालय में संलग्न किया गया।याचिकाकर्ता ने निलंबन को चुनौती देते हुए कहा था कि आठ अगस्त को दूसरा शनिवार और सरकारी अवकाश था। आरोप लगाया गया कि अवकाश के दिन जल्दबाजी में कार्रवाई की गई। शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि मप्र सिविल सेवा नियम के नियम 23 के तहत निलंबन के विरुद्ध विभागीय अपील का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने डॉ. गुन्नाड़े को 10 दिन में अपील प्रस्तुत करने और विभाग को 60 दिन में उसका विधि अनुसार निराकरण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निलंबन आदेश पर सीधे हस्तक्षेप नहीं किया।

दुकान सौदे के विवाद में तीन पर परिवाद दर्ज

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शुभांगी पालो दत्त की अदालत ने दुकान के विक्रय सौदे में 10 लाख रुपये लेने के बाद कथित तौर पर किसी अन्य व्यक्ति से अनुबंध करने और रकम वापस मांगने पर मारपीट व धमकी देने के मामले में गुलाब बजाज, नरेश बजाज और दैविक बजाज निवासी हाथीताल के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है।शिकायतकर्ता गुरुकृपा विहार, शारदा चौक निवासी आशीष नेल्सन ने परिवाद दायर किया था। अदालत ने शिकायतकर्ता और जाय डेविड के कथनों का परीक्षण करने के बाद प्रथमदृष्टया पाया कि आरोपियों द्वारा रास्ता रोकने, गाली-गलौज करने, लाठी-डंडों व लात-घूंसों से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसी आधार पर संबंधित धाराओं में संज्ञान लिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि गोरखपुर थाने में शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और उसे न्यायालय जाने के लिए कहा गया। आरोपियों ने परिवाद का विरोध करते हुए कहा कि कथित बिक्री अनुबंध अपंजीकृत है और उस पर संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर नहीं हैं। घटना से भी इनकार करते हुए इसे दबाव बनाने की कार्रवाई बताया।

लगता है चुनाव हारने के कारण सदमे में हैं वकील साहब सुनवाई दौरान अनुपस्थित होने पर कोर्ट ने की टिप्पणी

जबलपुर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के चुनाव में हार के बाद अधिवक्ता के कोर्ट में बहस के लिए उपस्थित नहीं होने पर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने टिप्पणी की कि लगता है बार एसोसिएशन का चुनाव हारने के सदमे के कारण अधिवक्ता बहस के लिए उपलब्ध नहीं हैं। मामला भोपाल निवासी दशरथ कुमार की अपील से जुड़ा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार वर्ष की सजा होने के कारण उन्हें पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया था। इसके खिलाफ दायर याचिका निरस्त होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ओम शंकर विनय पांडे पैरवी कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में युगलपीठ ने बहस के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की थी। सुनवाई के दिन अधिवक्ता रजनी मिश्रा उपस्थित हुईं और बताया कि उनके सीनियर बहस के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने सुनवाई आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने आदेश में उक्त टिप्पणी की।उल्लेखनीय है कि ओम शंकर विनय पांडे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। कोर्ट की टिप्पणी इसी संदर्भ में चर्चा में है।

योग्यता के आधार पर मेरिट सूची में स्थान पाने वालों के हितों का किया गया हनन

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से मेरिट में ऊपर रहने वाले उम्मीदवार को अधिक अंक होने के बावजूद कम मेरिट वाले उम्मीदवार से पीछे नहीं किया जा सकता। युगलपीठ ने एकलपीठ का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली और मेरिट के आधार पर नियुक्त अपीलकर्ताओं को पसंद के अनुसार पोस्टिंग देने पर विचार करने के निर्देश दिए। मामला रामनाथ शाह व अन्य की अपील से जुड़ा है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 के जरिए स्कूल शिक्षा और आदिवासी कल्याण विभाग के शिक्षण पदों के लिए साझा विज्ञापन जारी किया था। आरक्षित वर्ग के कई उम्मीदवारों ने अनारक्षित से अधिक अंक हासिल कर सामान्य रिक्तियों के विरुद्ध चयन पाया। इनमें कई को आदिवासी कल्याण विभाग के स्कूल मिले, जबकि उन्होंने प्राथमिकता में स्कूल शिक्षा विभाग को चुना था। उनसे कम अंक वाले उम्मीदवारों को स्कूल शिक्षा विभाग में पद मिल गए। अधिकारियों ने दो नवंबर और 21 दिसंबर 2022 के आदेशों से पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को रिक्त पदों की काउंसलिंग में शामिल होने से रोक दिया।

सुशीला पालीवाल कोषाध्यक्ष रूपेश पटेल बने सह-सचिव

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

हाईकोर्ट बार एसोसियेशन चुनाव में गुरुवार को महिला आरक्षित कोषाध्यक्ष पद के मतों की गिनती हुई। जिसमें सुशीला पालीवाल ने सर्वाधिक मत प्राप्त कर जीत हासिल की। वहीं सह सचिव पद पर रूपेश पटेल ने बाजी मारी। पुस्तकालय प्रभारी पद पर अजय शुक्ला ने जीत हासिल की। तीसरे दिन की मतगणना समाप्त होने के साथ ही आज चौथे दिन शुक्रवार को कार्यकारिणी सदस्यों के मतों की गिनती की जाएगी। जिसके बाद पूरी नवीन कार्यकारिणी की तस्वीर साफ हो जायेगी।

गुरुवार को महिला आरक्षित कोषाध्यक्ष पद के मतों की गिनती की गई। जिसमें सुशीला पालीवाल को सर्वाधिक 772 मत प्राप्त हुए। वहीं कु. अमन शर्मा को 750, शक्ति त्रिपाठी 461, संगीता नायडू 276 मत ही हासिल कर सकी। इसके अलावा सह सचिव पद पर रूपेश



पटेल ने सर्वाधिक 791 मत हासिल कर जीत हासिल की। वहीं विकास मिश्रा 451, लवकुश मिश्रा 371, गंगाप्रसाद पटेल 262, धीरज तिवारी 226, नितिन शुक्ला को 164 मत प्राप्त हुए। पुस्तकालय प्रभारी पद की मतगणना पर अजय शुक्ला 463, विनोद मिश्रा 438, नीरज पाठक 434, रवीन्द्र प्रताप सिंह 282, अतुल भारद्वाज 198 व आजाद कृष्ण श्रीवास्तव183, तीरथ प्रसाद जयसवाल 145 व अभिषेक वर्मा को 125 मत हुए।

कार्रवाई : नगर निगम ने हटाया जर्जर भवन

जबलपुर (आरएनएन)। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने गढ़ा त्रिपुरी क्षेत्र में कार्रवाई की है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार त्रिपुरी चौक के आगे स्थित एक अति जर्जर व खतरनाक मकान को व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त कर हटा दिया गया। अतिक्रमण दल के प्रभारी बृज किशोर तिवारी ने बताया कि लंबे समय से जर्जर अवस्था में खड़े इस भवन से क्षेत्रीय नागरिकों और राहगीरों के लिए गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। नगर निगम की इस त्वरित व संवेदनशील पहल से एक बड़ा संभावित खतरा टल गया है। अतिक्रमण शाखा की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से जर्जर ढांचे को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए हटाया।

नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगमायुक्त के आदेश पर नगर निगम की टीम ने तुरंत कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण दल के प्रभारी बृज किशोर तिवारी और पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मुस्तैद रहे, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूरी हुई।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16/09/2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, 0136090700021169, 1178, 1275, 2876, 2921, 2922, 2927, 2929, 2935, 2936, 2963, 2968, 2973, 2975, 2986, 2987, 2996, 0136090730046236, 6272, 3764, 3798, 3799, 3822, 3877, 3895, 3909, 3919, 3934, 3978, 3979, 3980, 3982, 3990, 3999, 4002, 4016, 4024, 4026, 4056, 4058, 4064, 4065, 4067, 4069, 4087, 4088, 4089, 4090, 4095, 4102, 4110, 4113, 4144, 4166, 4173, 4181, 4194, परासिया राड़ छिंदवाड़ा, 0138200700006522, 6540, 6542, 6555, 6561, 6562, 6563, 6564, 6597, 0138200730009368, 9943, 4064, 4065, 4066, 4067, 4074, 4090, 4094, 4102, 4103, 4104, 4129, 4140, 4142, 4143, 4147, 4148, 4149, 4174, 4194, 4211, 4212, 4229, 4233, 4251, जबलपुर, बडी ओम्टी जबलपुर, 0126830700021723, 1728, 1734, 1777, 1787, 1798, 1804, 1818, 2765, 2784, 2787, 2788, 2796, 2804, 2812, 2815, 2830, 2850, 0126830730013214, 3337, 3343, 6419, 6420, 6423, 6428, 6446, 6447, 6459, 6472, 6475, 6489, 6493, 6494, 6519, 6520, 6523, 6555, 6556, गोरखपुर, 0115340700024313, 4374, 5325, 5333, 5334, 5340, 5341, 5369, 5372, 5375, 5415, 5418, 5419, 5427, 5434, 0115340730025919, 6014, 6080, 1401, 1403, 1404, 1427, 1429, 1472, 1480, 1486, 1488, 1492, 1493, 1494, 1497, 1499, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1515, 1516, 1534, 1537, 1539, 1543, 1547, 1560, 1564, 1576, 1585, 1591, 1607, इंदिरा मार्केट जबलपुर, 0125710700025040, 5244, 5276, 5296, 5315, 5335, 6387, 6388, 6395, 6403, 6423, 6425, 6432, 6434, 6445, 6446, 6449, 6451, 6454, 6455, 6457, 6462, 6465, 6466, 6469, 6470, 6478, 6482, 6487, 6495, 0125710730027941, 8329, 4184, 4189, 4227, 4241, 4247, 4251, 4252, 4253, 4272, 4274, 4280, 4297, 4315, 4322, 4334, 4337, 4338, 4355, 4360, 4374, 4375, 4383, 4384, 4387, 4388, 4391, 4402, 4424, 4445, लेबर चौक जबलपुर, 0118180700028867, 8891, 8983, 9001, 0148, 0153, 0159, 0161, 0166, 0171, 0185, 0191, 0194, 0198, 0209, 0211, 0217, 0222, 0226, 0233, 0237, 0242, 0253, 0259, 0260, 0118180730037194, 7665, 7787, 4388, 4400, 4404, 4443, 4444, 4445, 4458, 4459, 4477, 4480, 4494, 4500, 4508, 4526, 4527, 4539, 4540, 4543, 4555, 4578, 4622, 4628, 4629, 4634, 4635, 4658, 4687, 4689, 4697, 4715, मालवीय चौक जबलपुर, 0118590700018715, 9499, 9508, 9512, 9515, 9518, 9530, 9535, 9545, 9552, 9557, 9569, 0118590730024459, 8088, 8123, 8137, 8138, 8143, 8156, 8160, 8163, 8175, 8176, 8199, 8200, 8215, 8216, 8250, 8272, मिशन चौक जबलपुर, 0122290700034434, 6159, 6175, 6187, 6207, 6267, 6270, 0122290730035027, 1350, 1351, 1422, 1432, 1438, 1468, 1490, 1494, 1500, 1504, 1505, 1506, 1527, 1532, 1538, 1594, 1629, 1631, 1645, रंजी बाजार जबलपुर, 0115600700030593, 0660, 1834, 1845, 1849, 1854, 1885, 1915, 1919, 1924, 1946, 1951, 1960, 0115600730026075, 6085, 1629, 1630, 1637, 1671, 1679, 1685, 1695, 1702, 1703, 1704, 1709, 1720, 1725, 1736, 1738, 1743, 1744, 1751, 1762, 1767, 1768, 1772, 1782, 1787, 1789, 1801, 1813, 1819, 1826, 1844, 1857, 1858, 1860, 1864, 1906, शास्त्री ब्रिज चौक जबलपुर, 0122190700019077, 9130, 9901, 9925, 9934, 9944, 9949, 9957, 9958, 9968, 9971, 9981, 0122190730033018, 3029, 3034, 3045, 3046, 3047, 3062, 3065, 3077, 3093, 3103, 3113, 3119, 3120, 3121, 3123, 3125, 3128, 3130, 3131, 3135, 3143, 3162, 3165, 3169, 3183, 3186, 3187, 3189, 3208, 3211, विजय नगर जबलपुर, 0122240700021614, 1628, 1632, 1654, 1663, 1664, 1665, 1671, 1676, 1677, 1692, 0122240730015808, 6442, 1001, 1008, 1010, 1012, 1048, 1058, 1062, 1063, 1071, 1079, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096, 1099, 1101, 1117, 1118, 1121, 1132, 1136, 1138, 1141, 1152, 1155, 1193, 1195, 0167, 0188, राइट टाउन, 0124200700021191, 1206, 1216, 2066, 2070, 2071, 2089, 2105, 2138, 2156, 0124200730019654, 9731, 3559, 3563, 3564, 3596, 3603, 3606, 3618, 3636, 3653, 3686, 3687, 3688, 3691, 3693, 3698, 3713, 3730, 3733, 3742, 3750, 3751, 3752, 3763, 3781, कटनी, कटनी, 0136140700011394, 2085, 2093, 2102, 2115, 2124, 2141, 2153, 2154, 2160, 0136140730048127, 1949, 1971, 1972, 1973, 1978, 1980, 1984, 1986, 1990, 1994, 1995, 1999, 2002, 2009, 2021, 2022, 2023, 2027, 2030, 2034, 2038, 2039, 2042, 2046, 2048, 2057, 2065, 2080, 2081, 2088, 2090, 2094, 2096, 2109, 2119, 2120, 2121, रीवा, कॉलेज रोड रीवा, 0127340700029834, 9896, 9910, 9937, 9950, 9962, 0056, 0072, 1306, 1311, 1330, 1332, 1357, 1359, 1366, 1369, 1370, 1381, 1398, 1401, 1411, 1412, 1439, 1452, 1457, 0127340730034674, 4795, 4800, 3983, 3985, 3991, 3992, 4005, 4013, 4023, 4029, 4039, 4050, 4051, 4055, 4056, 4081, 4082, 4103, 4111, 4112, 4147, 4152, 4157, 4158, 4159, 4170, 4171, 4172, 4173, 4181, 4185, 4190, 4198, 4199, 4200, 4201, 4205, 4216, 4217, 4220, 4228, 4229, 4238, 4240, 4241, 4242, 4244, 4246, 4262, 4263, 4265, 4284, 4288, 4303, 4311, 4333, गल्लामंडी अमहिया रीवा, 0127160700017829, 7870, 7915, 8964, 8975, 8980, 8998, 9005, 9016, 9017, 9020, 9022, 9034, 9050, 9054, 9059, 9061, 9075, 9095, 9098, 9103, 0127160730021662, 8958, 8973, 8988, 9001, 9009, 9010, 9017, 9020, 9021, 9022, 9024, 9027, 9029, 9031, 9057, 9064, 9079, 9081, 9082, 9084, 9101, 9103, 9105, 9110, 9111, 9112, 9113, 9117, 9118, 9124, 9128, 9142, 9147, 9148, 9149, 9150, 9152, 9161, 9162, 9183, 9201, 9202, 9205, 9207, 9230, 9234, 9236, 9245, 9254, प्रकाश चौराह रीवा, 0127890700022232, 2270, 2349, 2367, 3652, 3661, 3672, 3729, 3733, 3735, 3780, 0127890730022851, 2951, 8423, 8430, 8432, 8433, 8435, 8437, 8438, 8440, 8441, 8493, 8510, 8512, 8513, 8514, 8515, 8522, 8523, 8525, 8538, 8539, 8543, 8618, 8619, 8627, 8635, 8649, सिरमौर चौक रीवा, 0131380700018760, 8836, 8841, 8860, 8867, 8870, 8906, 0068, 0070, 0083, 0084, 0095, 0123, 0133, 0137, 0144, 0155, 0156, 0159, 0173, 0176, 0131380730021175, 1263, 1301, 1302, 1356, 1399, 0630, 0646, 0647, 0657, 0658, 0665, 0667, 0668, 0671, 0673, 0674, 0677, 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0693, 0701, 0711, 0722, 0735, 0737, 0738, 0739, 0742, 0756, 0770, 0771, 0772, 0775, 0780, 0781, 0782, 0784, 0786, 0787, 0790, 0793, 0795, 0796, 0800, 0813, 0817, 0818, 0822, 0826, 0831, 0832, 0833, 0839, 0842, 0847, 0861, 0863, 0864, 0865, 0881, 0894, 0896, 0900, सतना, रिवारोड आदर्श नक्षर, 0131840700022692, 3825, 3833, 3834, 3844, 3863, 3888, 3921, 3927, 3933, 0131840730082325, 2424, 2511, 9277, 9342, 9343, 9344, 9345, 9348, 9350, 9356, 9357, 9364, 9372, 9376, 9377, 9380, 9386, 9394, 9413, 9414, 9426, 9427, 9429, 9437, 9449, 9450, 9452, 9455, 9456, 9462, 9469, 9482, 9489, 9507, 9508, 9519, 9520, 9523, 9534, 9540, 9542, 9543, 9544, 9558, 9568, 9571, 9584, 9585, 9592, 9597, 9623, रीवा रोड सतना, 0128170700024978, 5185, 5341, 5351, 5383, 5387, 5389, 5390, 5400, 5478, 5479, 5486, 5500, 5504, 6850, 6863, 6885, 6889, 6905, 6915, 6920, 6924, 6926, 6927, 6929, 6932, 6938, 6945, 6947, 6948, 6950, 6951, 6954, 6955, 6956, 6965, 6971, 6979, 6989, 0128170730098836, 7524, 7528, 7567, 7572, 7590, 7597, 7600, 7603, 7614, 7640, 7648, 7649, 7656, 7667, 7668, 7678, 7703, 7725, 7727, 7731, 7735, 7744, 7745, 7750, 7751, 7758, 7763, 7772, 7776, 7786, 7787, 7789, 7794, 7815, 7820, 7821, 7828, 7829, 7877, 7929, 7931, 7932, 0135,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

बैठक | संस्कृति थिएटर अब मात्र 10 हजार रुपए में होगा उपलब्ध

शहर के विकास को मिली नई रफ्तार



स्मार्ट सिटी तकनीकी सहयोग का मुख्य केंद्र बनेगी

जबलपुर स्मार्ट सिटी अब संभाग के अन्य निकायों व सरकारी विभागों को कंसल्टेंसी सेवाएं डीपीआर तैयार करना, टेंडर प्रक्रिया, सुपरविजन आदि प्रदान करेगी। इससे स्मार्ट सिटी तकनीकी सहयोग का मुख्य केंद्र बनेगी और उसकी आय में भी इजाफा होगा। बैठक में स्वतंत्र निदेशक व महापौर प्रतिनिधि डिंपल टाँक, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जयवर्धन सिंह, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि स्वतंत्र निदेशक शिवानंद स्वामी वीडियो कॉन्फ्रे सिंग के जरिए शामिल हुए।

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्टर एवं स्मार्ट सिटी चेयरमैन राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई। जिसमें शहर के सांस्कृतिक उत्थान, खेल सुविधाओं के विस्तार, रोजगार के नए अवसरों और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई दूरगामी व जनहितैषी निर्णय लिए गए। बैठक में नगर निगमायुक्त व स्मार्ट सिटी के कार्यकारी निदेशक राम प्रकाश अहिरवार तथा सीईओ देवेन्द्र सिंह चैहान सहित अन्य अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में भंवरताल स्थित संस्कृति थिएटर को आम नागरिकों और संस्थाओं के लिए किफायती दरों पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यह केवल रुपए 10 हजार रुपए में मिलेगा। वहीं 4 घंटे के आयोजन के लिए 15 हजार और 6 घंटे के लिए 25 हजार का शुल्क तय किया गया है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलना आसान होगा। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेज 2 की दुकानों की पारदर्शी ई.टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। प्रथम चरण में 6 दुकानों के आवंटन से स्थानीय व्यापार को गति मिलेगी।

स्मार्ट सिटी इनक्यूबेशन सेंटर का किया जाएगा संचालन

युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी इनक्यूबेशन सेंटर का संचालन अब स्वयं करेगी। वहीं शहर की नागरिक सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए एनएमटी कॉरिडोर और डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन नगर निगम को सौंपा जाएगा। रांझी स्थित एलएनवाई स्कूल में विकस